



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

आवास फाईनेन्शियर्स बनाम रनजीत सिंह

प्रकरण सं- 80/2022

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|---|
| 12.03.2022 | <p>पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित है। प्रार्थी के वकील ने प्रकरण को नोट प्रेस किया है। अतः प्रार्थी वकील द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p> | <p>Not Press  ज-क सिंह</p> |